दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

शुक्रवार,28 सितम्बर,2001/आश्विन 06,1923(शक)

संख्या : 62

1 2.00 बजे — प्रश्न काल : तारांकित प्रश्न संख्या-82 से 86 तक पूछे गये और उनके उत्तर दिये गये । तारांकित प्र.सं. 81 व 87 से 100 एवं अतारांकित प्र.सं. 244 से 292 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

2. 3.07 बजे — 1. श्री भीष्म शर्मा ने यू.एस.ए. के बोस्टन एयरपोर्ट पर श्री राहुल गांधी की तथाकथित गिरुफ़तारी का मामला उठाने की कोशिश की । अपने आसन पर बैठने के लिये अध्यक्ष द्वारा किये गये अनुरोध को न मानने पर उन्हें सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया गया ।

विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली उपभोक्ता सहकारिता भंडार में तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में श्री नन्द किशोर गर्ग द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में जानना चाहा । अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस नोटिस को पहले ही खाद्य एवं संभरण मंत्री को उनकी टिप्पणी के लिये भेज दिया गया है और टिप्पणी प्राप्त होने पर वे इसे सोमवार, 1 अक्तूबर,2001 को सूचीबद्व करने पर विचार कर सकते हैं।

उत्तर से संतुष्ट न होते हुए श्री हरशरण सिंह बल्ली ने यह मांग की कि सदन के अन्य कामकाज को छोड़कर तुरन्त इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाये । तथापि,अध्यक्ष महोदय ने यह कहकर इस बात से इनकार कर दिया कि आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन है और वे सदस्य जिनके विधेयक एवं संकल्प लगे हुए हैं यह उनके अधिकारों का हनन होगा । अपने आसन पर बैठने के लिये अध्यक्ष महोदय के अनुरोध को न मानने पर उन्हें सदन से बाहर जाने के लिये कहा गया ।

तत्पश्चात, निम्नलिखित सदस्य नारेबाजी करने लगे और उन्हें भी सदन से बाहर जाने के लिये कहा गया :-

1. डॉ.जगदीश मुखी
2. श्री नन्द किशोर गर्ग
3. श्री राम भज
4. श्री जय भगवान अग्रवाल
5. श्री पूरन चन्द योगी
6. श्री मोहन सिंह बिष्ट
7. श्री ब्रहम सिंह तवर
8. श्री सुशील चौधरी
9. श्री अविनाश साहनी
10. डॉ.हर्षवद्वन
11. श्री नरेश गौड़
12. श्री रविन्दर नाथ बंसल

3.35 बजे — सदन पुनः समवेत हुआ ।

श्री साहब सिंह चौहान ने अध्यक्ष के निर्णय का विरोध किया ।अपने आसन पर बैठने के लिये अध्यक्ष महोदय के अनुरोध को न मानने के कारण उन्हें भी सदन से बाहर जाने के लिये कहा गया ।

3. 3.40 बजे — विशेष उल्लेख(नियम-287)

निम्नलिखित सदस्यों ने नियम-287 के अंतर्गत मामले उठाये :-

1. श्री वीर सिंह
2. श्री जिले सिंह चौहान
3. श्री सुरेन्द्र कुमार
4. श्री माला राम गंगवाल
5. श्री रमेश कुमार
6. श्री नसीब सिंह
7. श्री राधेश्याम खन्ना
8. श्री शादी राम
9. श्रीमती दर्शना राम कुमार
10. श्री शोएब इकबाल

4.04 बजे — सदन जलपान अवकाश के लिये स्थगित हुआ

4.37 बजे — सदन पुनः समवेत हुआ ।

खाद्य एवे संभरण मंत्री ने दिल्ली उपभोक्ता सहकारी स्टोर के संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

4. 4.42 बजे — विधेयकों पर विचार एवं पारण

1. श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से प्रस्ताव किया कि दिल्ली महिला आरक्षण विधेयक,2001(2001 का विधेयक संख्या-21) पर विचार किया जाये ।

श्री शोएब इकबाल ने चर्चा में भाग लिया ।

समाज कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया और सुझाव दिया कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये ।

225

प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट हुआ ।

2. श्रीमती अंजलि राय ने सदन की अनुमति से प्रस्ताव किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता(संशोधन) विधेयक,2001(2001 का विधेयक संख्या-22) पर विचार किया जाये ।

मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया और सदस्य से अनुरोध किया कि वे इस विधेयक को वापस ले लें ।
सदन की अनुमति से सदस्य ने विधेयक को वापस ले लिया ।

3. 5.15 बजे विधेयकों का पुर:स्थापन :

1. श्री अरविन्दर सिंह लवली ने सदन की अनुमति से दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा(संशोधन) विधेयक,2001 (2001 का विधेयक संख्या-4) को सदन में पुर:स्थापित किया ।
2. श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से दिल्ली वरिष्ठ नागरिक सम्मान विधेयक,2001(2001 का विधेयक संख्या-5) को सदन में पुर:स्थापित किया ।
3. श्री अरविन्दर सिंह लवली ने सदन की अनुमति से सरकारी कर्मचारियों द्वारा सम्पत्तियों की घोषणा विधेयक,2001(2001 का विधेयक संख्या-17) को सदन में पुर:स्थापित किया ।

5. 5.18 बजे गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

1. श्री अरविन्दर सिंह लवली ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

यह सदन देश में शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण किये जाने के प्रयासों की घोर निन्दा करता है और हमारे संविधान के प्रावधानों के आधार पर बनी धर्म निरपेक्ष शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के समर्थन का संकल्प करता है ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. डॉ. किरण वालिया
2. श्रीमती किरण चौधरी
3. श्री मुकेश शर्मा
4. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
5. श्री नसीब सिंह
6. श्री रमाकान्त गोस्वामी

शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

श्री अरविन्दर सिंह लवली ने निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया :-

शिक्षा प्रणाली कस भगवाकर किये जाने शब्दों के स्थान पर शिक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मोड़े जाने- पढ़ा जाये ।

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री अरविन्दर सिंह लवली ने संशोधित संकल्प प्रस्तुत किया जिसे मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने निम्नलिखित संशोधन पेश किया :-

यह सदन यह भी सिफारिश करता है कि एनसीईआरटी के 11वीं कक्षा के पाठयक्रम की पुसक मध्यकालीन भारत के पेज नंबर-328 पर जिसका विषय सिख है, में समुचित संशोधन किया जाये व श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में की गई अपत्तिजनक टिप्पणियों को निकाला जाये ।

यह सदन यह सिफारिश भी करता है कि कुछ निजी लखकों द्वारा विभिन्न्न धर्मों के इतिहास पर आपत्तिजनक टिप्पणियों वाली पुस्तकों पर जिनकें एन्शिएंट इंडिया नामक पुस्तक शामिल है, पर तुरन्त प्रतिबंध लगाया जाये ।

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने तत्पश्चात निम्नलिखित संशोधित संकल्प को मतदान के लिये रखा :-

यह सदन ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मोड़े जाने के प्रयासों की घोर निन्दा करता है और हमारे संविधान के प्रावधानों के आधार पर बनी धर्म-निरपेक्ष शिक्षा नीति के समर्थन का संकल्प करता है ।

यह सदन यह भी सिफारिश करता है कि एनसीईआरटी के 11वीं कक्षा के पाठयक्रम की पुस्तक मध्यकालीन भारत के पेज नंबर-328 पर जिसका विषय सिख है, में समुचित संशोधन किया जाये व श्री गुरु तेग बहादुर के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को निकाला जाये ।

यह सदन यह भी सिफारिश करता है कि कुछ निजी लेखकों द्वारा विभिन्न धर्मों के इतिहास पर आपत्तिजनक टिप्पणियों वाली पुस्तकों पर जिनमें एन्शिएंट इंडिया नामक पुस्तक शामिल है, पर तुरन्त प्रतिबंध लगाया जाये ।

संकल्प पारित हुआ ।

2. श्री जिले सिंह चौहान ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

यह सदन संकल्प करता है कि सरकार झुग्गीझोपड़ी में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक प्लाट आबंटित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उन क्षेत्रों में सभी आधारभूत एवं नागरिक सुविधाएं जैसे पीने का पानी,बिजली,सड़कें,अस्पताल,शौचालय और सीवर व्यवस्था आदि पहले से ही विद्यमान हो ।

6.32 बजे सदन आज के लिये स्थगित हुआ ।

दिल्ली,
28 सितम्बर,2001

एस.के.शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-I

(BRIEF SUMMARY OF PROCEEDINGS)
Friday, 28th September, 2001/Ashwin 06, 1923(Saka)

No:62

1. 2.00 PM — QUESTION HOUR: Starred Questions 82 to 86 were raised and replied. Replies to Starred Questions (81 and 87 to 100) and Unstarred Questions 244 to 292 were laid on the Table.

3.07 PM — Shri Bheeshm Sharma attempted to raise the matter regarding the alleged detention of Shri Rahul Gandhi in the Boston Airport, USA. On not responding to the Chair's request to resume his seat he was ordered to withdraw from the House.

The Opposition Members sought to know the fate of the Calling Attention notice given by Shri Nand Kishore Garg regarding alleged irregularities in the the Delhi Consumer Cooperative Whole Sale Store. The Chair stated that the notice has already been sent to the Minister of Food and Supplies for his comments and on receipt of comments, he would consider listing it for Monday, the 1st October, 2001.

Not satisfied with the reply Shri Harsharan Singh Balli persisted with the demand to adjourn the other business of the House and take up the calling attention motion at once.The Chair however, refused saying that it being Private Member's Day, the Member's whose Bills and Resolutions were listed would be deprived of their rights. On not responding to the Chair's request to resume his seat, he was ordered to withdraw from the House.

The following Members thereafter resorted to slogan shouting and were therefore, ordered to withdraw for the day:

1. Dr. Jagdish Mukhi
2. Shri Nand Kishore Garg
3. Shri Ram Bhaj
4. Shri Jai Bhagwan Aggarwal
5. Shri Puran Chand Yogi
6. Shri Mohan Singh Bisht
7. Shri Brahm Singh Tanwar
8. Shri Sushil Chaudhry
9. Shri Avinash Sahni
10. Dr. Harsh Vardhan
11. Shri Naresh Gaur
12. Shri Ravinder Nath Bansal

3.20 PM — The House was adjourned for 15 minutes

3.35 PM The House reassembled.

Shri Sahab Singh Chauhan protested against the Chair's decision. On not responding to the Chair's request to resume his seat he was also ordered to withdraw for the day.

2 3.40 PM Special Mention (Under Rule 287):

The following Members made special mentions:
1. Shri Veer Singh
2. Shri Jile Singh Chauhan
3. Shri Surender Kumar
4. Shri Mala Ram Gangwal
5. Shri Ramesh Kumar
6. Shri Naseeb Singh
7. Shri Radhey Shyam Khanna
8. Shri Shadi Ram
9. Smt. Darshana Ram Kumar
10. Shri Shoaib Iqbal

4.04 PM House adjourned for tea break

4.37 PM House reassembled after tea break

The Minister of Food and Supplies made a statement regarding the Delhi Consumers Co-operative Wholesale Store.

PRIVATE MEMBERS BUSINESS

3 4.42 PM Consideration and Passing of Bill:

1. Shri Mukesh Sharma moved with the leave of the House that, "The Women Reservation Bill, 2001(Bill No.21 of 2001) be taken into consideration.

Shri Shoaib Iqbal participated in the discussion.

The Minister of Social Welfare replied and suggested that the Bill be referred to the Select Committee.

The Motion was put to vote and the Bill stood referred to the Select Committee.

2. Smt. Anjali Rai moved with the leave of the House that the Criminal Procedure Code (Amendment) Bill,2001 (Bill No.22 of 2001) be taken into consideration.

The Chief Minister replied and requested the Member to withdraw the Bill.

With the leave of the House the Member withdrew the Bill.

4	5.15 PM	Introduction of Bill:

1. Shri Arvinder Singh Lovely, with the leave of the House, introduced "The Delhi Sikh Gurudwara (Amendment) Bill, 2001 (Bill No.04 of 2001)."
2. Shri Mukesh Sharma, with the leave of the House introduced "The Senior Citizen Honour Bill, 2001 (Bill No.05)."

Shri Arvinder Singh Lovely, with the leave of the House, introduced "The Declaration of Assets by Government Servants Bill, 2001 (Bill No.17 of 2001)."

5 5.18 PM Private Members Resolution:

1. Shri Arvinder Singh Lovely moved the following Resolution:

"This House strongly condemns the attempt made to saffronise the education system in the country and resolves to support the implementation of secular education policy based on the provisions of our Constitution."

The following Members participated:

1. Dr. (Smt) Kiran Walia
2. Smt. Kiran Chaudhry
3. Shri Mukesh Sharma
4. Shri Tarvinder Singh Marwah
5. Shri Naseeb Singh
6. Shri Ramakant Goswami

The Minister of Education replied.

Shri Arvinder Singh Lovely moved the following amendment: "For the words 'to saffronise the education system' the words ' distort the history of' may be substituted.

The amendment was put to vote and adopted.

Shri Arvinder Singh Lovely moved the amended resolution which was voted and adopted.

Shri Mukesh Sharma moved the following amendment:

In the Resolution of Shri Arvinder Singh Lovely, the following may be added "This House also recommends that at Page 328 of 11th Class NCERT curriculum Book 'Madhyakalin Bharat' under the heading 'Sikh', appropriate amendment may be made and objectionable portions about Shri Guru Teg Bahadur Ji be removed.

This House also recommends that books authored by individual writers containing objectionable comments about various religions including book titled ' Ancient India' be proscribed forthwith."

The Amendment was put to vote and adopted.
The Chair thereafter put the following Resolution as amended to the vote of the House:

"This House strongly condemns the attempt made to distort the history of the country and resolves to support the implementation of secular education policy based on the provisions of our Constitution.

This House also recommends that at Page 328 of 11th Class NCERT curriculum Book 'Madhyakalin Bharat' under the heading 'Sikh', appropriate amendment may be made and objectionable portions about Shri Guru Teg Bahadur Ji be removed.

This House also recommends that books authored by individual writers containing objectionable comments about various religions including book titled ' Ancient India' be proscribed forthwith."

3. Shri Jile Singh Chauhan moved the following Resolution:
"This House resolves that as an when the Government allots alternative plots to the poor people residing in Jhuggi Jhonpris, it should be ensured that basic facilities and civic amenities such as drinking water, roads, hospitals, toilets and drainage system are made available to them in advance."

6.32 The House adjourned for the day.

Delhi
28th September,2001

SK SHARMA
SECRETARY